न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी नागौर
बइजलास श्री गौरीशंकर शर्मा आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 208/18

वादी
1–रामलाल पुत्र आशाराम जाति कुम्हार
निवासी जसनगर तहसील रियांबड़ी

बनाम

प्रतिवादीगण:–
1–भंवरलाल पुत्र आशाराम जाति कुम्हार
2–चेनाराम पुत्र आशाराम
3–भैराराम पुत्र आशाराम
4–तारादेवी पुत्री आशाराम
5–कमला पुत्री आशाराम
सभी निवासीगण जसनगर तहसील रियांबड़ी
6–तहसीलदार रियांबड़ी
7–पटवारी हलका जसनगर

दावा बाबत घोषणा खातेदारी अंतर्गत धारा 88 आरटीएक्ट 1955

निर्णय

दिनांक :–8/6/18

वादी निम्नलिखित वाद पेश करता है :–
1–यह है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 6 एक ही परिवार के सदस्य है। हिन्दु है और हिन्दु मिताक्षरा कानून से गर्वन होते है। सभी स्व.आशाराम जी के वारिसान है।
2–यह है कि ग्राम जसनगर की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 1826 रकबा 1.16 हैक्टर,खसरा नंबर 1843 रकबा 0.16 हैक्टर,खसरा नंबर 1844 रकबा 0.03 हैक्टर,खसरा नंबर 1845 रकबा 0.16 हैक्टर,खसरा नंबर 1846 रकबा 0.37 हैक्टर व खसरा नंबर 1850 रकबा 1.73 हैक्टर कुल रकबा 3.61 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी की काश्त व कब्जासुदा स्थित है। उक्त आराजी को आगे वाद में मुतनाजा आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।
3–यह है कि वादग्रस्त खसरा की भूमि पूर्व में वादी के पिता आशाराम जी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद थी। उनके स्वर्गवास के बाद वादग्रस्त खसरान की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 तथा वादी के भाई ओमप्रकाश को उतराधिकार में प्राप्त हुई। वादी का भाई ओमप्रकाश नाबालिंग अवस्था में ही निसंतान फौत हो गया,मगर उसका नाम खातेदारी में अभी तक चल रहा है। ओमप्रकाश के उतराधिकारी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 ही है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि है। वादग्रस्त खसरा में वादी व प्रतिवादी का 1/7–1/7 हिस्सा काश्त व कब्जासुदा है।
4–यह है कि वादग्रस्त खसरान की खातेदारी में अभी तक वादी के भाई ओमप्रकाश का नाम चला आ रहा है,जबकि मौके पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 का ही संयुक्त रूप से काश्त व कब्जा है। मगर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के मध्या वादग्रस्त खसरा की भूमि का बंटवारा अभी बाई मिटस एण्ड बाउण्डस नहीं हुआ है।
5–यह है कि वादग्रस्त खसरान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की पैतृक भूमि है तथा ओमप्रकाश के उतराकिारी भी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 ही है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 का सामलाती रूप से हक व अधिकार है। तथा वादग्रस्त खसरा की भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा काश्त व कब्जासुदा है। तथा इसी अनुसार सहूलियत से काश्त व काबिज है। जिससे वादी यह खातेदारी घोषणा इस प्रकार करवाने का अधिकारी है। कि वादग्रस्त खसरा की भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 का प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा काश्त व कब्जासुद है।

Scanned by CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन जबाब हेतू तलब किया गया। वादी मय अधिवक्ता व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 मय अधिवक्ता के राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प जसनगर में उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश किया गया। बाद तस्दीक के राजीनामा सामिल मिसल किया गया।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील पक्षकारान ने अपनी बहस में बताया कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है और स्व.आशाराम जी के वारिसान है। वादी के भाई ओमप्रकाश जो नाबालिंग अवस्था में ही फौत हो गया जिसका नाम अभी तक खातेदारी में चला आ रहा है। इसलिए उनका नाम खातेदारी से हटाया जावें।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड जमाबंदी का अवलोकन किया गया। तथा ओमप्रकाश के मृत्यु प्रमाण पत्र का भी अवलोकन किया गया। समस्त विवेचन से पाया गया कि वादी व प्रतिवादीगण स्व.आशाराम जी के वारिसान है। वादी का भाई ओमप्रकाश जो नाबालिंग अवस्था में ही फौत हो गया था उसका नाम खातेदारी से हटवाना चाहते है। मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी में दर्ज है। केवल मात्र ओमप्रकाश का नाम हटवाने हेतू वाद पेश किया गया है। सभी पक्षकार सहमत है।

अतः वादी का वाद जरिये सहमति के स्वीकार किया जाता है। तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के नाम निम्न प्रकार से खातेदारी की घोषणा की जाती है:– "ग्राम जसनगर की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 1826 रकबा 1.16 हैक्टर,खसरा नंबर 1843 रकबा 0.16 हैक्टर,खसरा नंबर 1844 रकबा 0.03 हैक्टर,खसरा नंबर 1845 रकबा 0.16 हैक्टर,खसरा नंबर 1846 रकबा 0.37 हैक्टर व खसरा नंबर 1850 रकबा 1.73 हैक्टर कुल रकबा 3.61 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की खातेदारी की घोषित की जाती है। तथा ओमप्रकाश का नाम खातेदारी से हटाया जाता है।

तहसीलदार रियांबड़ी उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जावें।"इसी आशय का डिकी पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

नोटः–उपरोक्त खसरान में सें अगर बैंक के रहन रखा गया हो तो रहन यथावत रहेगा।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियां बड़ी (नागौर)
राजस्व लोक अदालत कैम्प जसनगर

निर्णय दिनांक 08.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प जसनगर में सुनाया गया ।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियां बड़ी (नागौर)
राजस्व लोक अदालत
राजस्व लोक अदालत कैम्प जसनगर

Scanned by CamScanner